आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–31 / 2017

1. महेश्वर महतो पिता किष्टो महतो, ग्राम मगनडीह,
पो० जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।..........................अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी सोनाहातु, राँची
झारखण्ड सरकार..विपक्षी।

आदेश

21.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–252 R27 / 2016-17 में आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
मगनडीह	सोनाहातु	47	11	286	14 डिसमील

चौहदीः–उ०–सहायक रास्ता, द०–धनेश्याम लोहार एवं क्रेता नीज,
द०–शंकर महतो, प०–महेश्वर महतो उर्फ वरी महतो।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि के क्रेता–विक्रेता दोनों जाति–कुर्मी के सदस्य हैं एवं एक ही थाना एवं एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि सी.एन.टी. अन्तर्गत सूचिबद्ध होने तथा भूमि अन्तरण पूर्व अनुमति नहीं लिए जाने के कारण उक्त भूमि का नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण वाद आवेदित भूमि के कुर्मी भूमि होने का कारण देकर अस्वीकृत कर दिया गया जो कि नियम संगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2012 के पूर्व कुर्मी C.N.T. के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः इसी आधार पर यह अपील स्वीकृत किया जाए एवं अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–252 R27 / 2016-17 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता सीएनटी अंतर्गत सूचीबद्ध है। भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

उपसमाहर्त्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक–217(ii) दिनांक–31 / 01 / 2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–25 / 01 / 2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

21/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।